खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) पिछले तीन वर्षो और 1998 में अप्रैल तक के दौरान किलोग्राम/वर्ष और ग्राम/दिन के रूप में गणना किए गए खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता निम्नानुसार हैं:-

खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता

वर्ष	किलोग्राम/वर्ष	ग्राम/दिन
1995	185.3	507.7
1996	177.3	585.8
1997	186.9	512.1
1998 (अप्रैल तक)	178.4	488.8

(ख) और (ग) 1997-98 मौसम में उत्पादन में कमी होने के कारण 1998 में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता में 1997 की तुलना में गिरावट आई है। खाद्यान्नों की उपलब्धता में 1997 की तुलना में गिरावट आई है। खाद्यान्नों की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए सरकार "चावल, गेहूं और मोटे अदाज पर आधारित फसल प्रणाली" क्षेत्रों में समन्वित अनाज विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय दाल विकास परियोजना आदि फसल विशिष्ट योजनाएं लागू कर रही है। जिसे अंततः उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी।

आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्यो में अन्तर

2634. **चौधरी हरमोहन सिह यादव :**

श्री नागमणि :

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महानगरों में आवयक वस्तुओं के वर्तमान थोक और खुदार ब्रिकी मूल्यों के बीच प्रति किलोग्राम मूल्य में कितना अन्तर हैं;

(ख) क्या आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा बिक्री मूल्यों के बीच अधिकितम अनुज्ञेय मूल्य-अंतर के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि हां, तो मंत्रालय आवश्यक वस्तुओं के मूल्य और विशेषकर खुदरा मूल्यों पर किस प्रकार निगरानी रखती है जिससे कि उपभोक्ताओं को संरक्षण दिया जा सके ?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) चार महानगरों में 1.7.98 की स्थिति के अनुसार कुछ आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्यों को दर्शानें वाला एक विवरण संलग्र है। (नीचे देखिए)

(ख) और (ग) ढुलाई लागत, पैकिंग लागत, स्थानीय करों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के लाभ मार्जिन आदि जैसे कारणों से थोक और खुदरा स्तर पर मूल्य हमेशा बदलते रहते हैं। थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं द्वारा जाने वाले मार्जिन के संबंध में कोई विशिष्ट दिशा-निर्देश नहीं है। यह मांग और पूर्ति से संबंधित बाजार की शक्तियों पर निर्भर होता है।

(घ) उपभोक्ता मामले विभाग, राज्य नागरिक आपूर्ति विभागों के प्राप्त आकंडों के आधार पर थोक और खुदरा स्तर पर 12 अति आवश्यक वस्तुओं अर्थात् चावल, गेहूं चने की दाल, तुर दाल, चीनी, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, वनस्पति, चाय आलू, प्याज औश्र नमक के मूल्यों पर निगरानी रखता है। जिन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने की संभावना रहती है। और आपूर्ति बढ़ाने की दृष्टि से जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, उनकी पहचान करने के लिए थोक और खुदरा मूल्यों का विस्तृत विश्लेषण किया जाता है। किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए किए जाने वाले उपायों में सार्वजनिक वितरण एजेसियों के माध्यम के किसी विशेष समय के दौरान जिन वस्तुओं की आपूर्ति में कमी आ जानी है उनका राजहायता प्राप्त मूल्यों पर वितरण करके बाजार दखल कार्रवाई करना, आयात शुल्क में कमी करना, खुले सामान्य लाइसेंसं के तहत आयात की अनुमति देना व्यापारियों के लिए स्टॉक सीमाएं निर्धारित करना तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम एंव चोर बाजारी निवारण तथा आवयश्क वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत जमाखोरों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना शामिल है।

विवरण

चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं के थोक बिक्री और खुदरा बिक्री मूल्य (1.7.98 **की स्थिति के अनुसार**)

(थोक बिक्री रू0 प्रति क्विंटल

खुदरा बिक्री रू0 प्रति कि0 ग्रा0

मद	**दिल्ली**		**मुम्बई**		**चेन्नई**		**कलकत्ता**	
	थो0मू	खु0मू	थो0 मू	खु0 मू	थो0 मू	खु0मू	थो0मू	खु0मू
चावल	890	10.00	1000	12.00	705	8.50	900	9.50
गेहूं	580	6.50	955	12.00	955	11.50	स्0 न0	7.00
चना	1300	16.00	7801	22.00	1209	16.00	1400	20.20
अरहर	2400	29.00	3125	34.00	2617	29.00	2950	30.00
चाय	12500	130.00	स्0 न0	140.00	18100	187.50	स्0 न0	80.00
चीनी	1225	16.00	1478	16.00	1443	15.00	1600	16.50
वनस्पति	5300	56.00	4733	52.75	4347	50.00	5233	55.00
मूंगफली का तेल	5133	56.00	4733	52.75	4347	50.00	2533	55.00
सरसों का तेल	4467	50.00	4367	54.00	4487	48.00	4700	48.00
नमक	530	6.00	500	6.00	520	7.00	स्0 न0	6.00
आलू	650	10.00	825	11.50	922	11.00	675	8.00
प्याज	675	12.00	825	11.00	900	11.00	875	10.00

थो0मू0 – थोक मूल्य खु0मू0 – खुदरा मूल्य

स्0 न0 – सूचित नहीं किया

स्रोत – राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को रियायती दर पर राशन की आपूर्ति

2635. **श्री रामगोपाल यादव** :

श्री ईश दत्त यादव :

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं तथा प्रदेश की कुल आबादी में उनकी प्रतिशतता कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने उन्हें रियायती दरों पर राशन उपलब्ध कराने के लिए कोई निर्णय लिया है,

(ग) यदि हां, तो लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है तथा क्या उत्तर प्रदेश में गरीबी से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों को उपर्युक्त निर्णय के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं, और

(घ) यदि हां, तो प्रति परिवार और प्रति व्यक्ति आवंटन दर क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) स्वर्गीय प्रो. लाकड़ावाला की अध्यक्षता में गठित गरीबों की संख्या और अनुपात से सम्बद्ध "विशेषज्ञ दल" की विधि को अपनाते हुए योजना आयोग द्वारा 1993-94 के लिए तैयार किये गए अनुमानों के अनुसार उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों की संख्या 604.46 लाख हैं जो राज्य की जनसंख्या का 40.85 प्रतिशत है।

(ख) और (ग) जी, हां। जून, 1997 से शुरू की गई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के बीच वितरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा राज्यों को विशेष सब्सिडिप्राप्त मूल्यों पर प्रतिमाह प्रति परिवार 10 किलोग्राम खाद्यान्न जारी किए जाते हैं। राज्य सरकार की इच्छा के अनुसार उपर्युक्त मात्रा में या तो चावल भेजे जाते हैं अथवा गेहूं अथवा चावल और गेहूं दोनों ही भेजे जाते हैं। गरीबी रेखा के नीचे के परिवारो के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया खाद्यान्नों का मासिक कोटा 31500 टन चावल का और 64000 टन गेहूं का है।